(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

बाल्या वगै0 बनाम कमला वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 126 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
29.12.2020	पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता ने एकपक्षीय बहस सुनने हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजीयात में अधिवक्ता श्री चतुर्भुज गुर्जर द्वारा प्रार्थीया श्रीमति अनिता कोली पत्नि अनिल कुमार की ओर से केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो मूल वाद के साथ संलग्न हों। अधिवक्ता केवियटर को सूचित किया जाकर पत्रावली दिनांक 30.12.2020 को पेश हों। **उप खण्ड अधिकारी** **पीपलू (टोंक)**	08-13 08-01-2021
30.12.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अधिवक्ता केवियटर उपस्थित। अधिवक्ता केवियटर ने प्रा.पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 CPC पेश कर पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीया श्रीमति अनिता कोली w/o अनिल कुमार को मूल वाद मे पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने प्रा.पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 CPC पर लिखित जवाब पेश किये बिना प्रा.पत्र O.1.R.10 C.P.C. स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति दी। उभयपक्षो की सहमति के आधार पर प्रा.पत्र O.1.R.10 C.P.C. स्वीकार किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थीगण को संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र O.1.R.10 स्वीकार होने के बाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु बहस सुनने के लिए निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता तथा अधिवक्ता केवियटर को सुना गया। अधिवक्ता केवियटर ने बहस मे बताया कि	

दिनांक	कार्यवाही
	अन्य पक्षकारों की तलबी तथा लिखित जवाब के बाद ही अस्थाई निषे[illegible] प्रा.पत्र पर बहस इनके द्वारा की जावेगी। अधिवक्ता प्रार्थी की अन्तरि[illegible] निषेधाज्ञा बाबत बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06.0[illegible] को पेश हो।
06.01.2021	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। गत तारिख पे[illegible] पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेद[illegible] किया था कि भूमि आराजी ख0नं0 44/2, 45/2, 46/2, 48/2, 49, 50, 51/2, 52/[illegible] 53/1 वाके ग्राम बोरखण्डी खुर्द, पटवार हल्का सोहेला, भू0अ0नि0 सोहेला तह0 पीप[illegible] जिला टोंक (राज0) में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसमें उभयपक्ष पक्षकारान् अपने हक व हिस्से अनुसार उपरोक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075–2078 में प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण संख्या 01 ता 14 प्रत्येक का नाम तीन–तीन बार उल्लेखित हो गया है और उक्तानुसार ही हिस्सा भी उल्लेखित हो गया है। जो त्रुटीपूर्ण है तथा उक्त वर्णित आराजीयात में पक्षकारान् के मध्य विधिवत् तकास्मा नहीं होने के कारण प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त में मजामहत व मदाखलत कर रहे है एवं बिना राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती हुए बिना उक्त वर्णित आराजीयात कों अन्य के हक में रहन, दान, बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षीगण को बिना राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती हुए बिना व बिना विधिवत् तकास्मा हुए उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य को रहन, दान, बैचान, नहीं किये जाने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। अधिवक्ता केवियटर को सुना गया। अधिवक्ता केवियटर ने बहस में बताया कि अन्य पक्षकारों की तलबी तथा लिखित जवाब के बाद ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0पत्र पर बहस उनके द्वारा की जावेगी। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद तकास्मा/बंटवारा से संबंधित है एवं जिसकी वर्तमान जंमाबंदी संवत् 2075–2078 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथन के अनुसार प्रतिपक्षीगण उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य के हक में रहन, दान, बेचान करने पर आमादा है जबंकि जमाबंदी अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी है। केवियटर श्रीमति अनिता कोली पत्नि अनिल कुमार का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 स्वीकार कर पक्षकार बनाया गया है। अतः पक्षकारान् द्वारा यदि बिना विधिवत् तकास्मा के उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य के हक में रहन, दान, बेचान किया जाता है तो वाद की बहुलता व जटिलता बढ़ने की संभावना रहेगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखें तथा उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य के हक में रहन, दान, बैचान नहीं करें। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 28.01.2021 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

अज अदालत .... किस्म मुकदमा

बाल्या बनाम कमला वगै.

नं. 126 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
28/01/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तामिल समन प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 01 व 07 ता 10, 12 ता 15 की तामिल हो चुकी है। शेष अप्रार्थीगण के समन अदम तामिल प्राप्त। अधिवक्ता श्री C.B. गुर्जर ने अप्रार्थी संख्या 08 व 10 की ओर से वकालतनामा मूल वाद में प्रस्तुत किया एवं जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते जवाब 01, 07, 09, 12 ता 15 व शेष अप्रार्थीगण की इन्तजार तलबी में दिनांक 10.03.2021 को पेश हो। [signature]	
10/03/21	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / R.O. मिटिंग पर होने से दिनांक 28.04.21 को पेश हो। Ram	
28/04/21	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / लॉकडाउन पर होने से दिनांक 09/06/21 को पेश हो। Ram	
09/06/21	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / कोविड पर होने से दिनांक 28/07/21 को पेश हो। Ram	
28/07/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब 01, 07, 09, 12 ता 15 व तलबी शेष अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 01.09.2021 को पेश हो। [signature]	
01/09/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली वास्ते साबिक आदेशों की पालना में दिनांक 20.10.2021 को पेश हो। [signature]	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/[illegible]/21	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 20.12.2021 को पेश हो। Ram	
20/12/21	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / कैम्प पर होने से दिनांक 19.01.22 को पेश हो। Ram	
19/01/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु समन तलबाना पेश हो। पत्रावली दिनांक 30.03.2022 को पेश हो।	
30/03/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 08 ता 10 उपस्थित। प्रार्थी भंवरलाल पुत्र लादूलाल जाति बैरवा नि. मोहल्ला खोजा बावडी टोंक की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा व श्री दिनेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा व प्रा.पत्र O.1R10 प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र दिनांक 27.04.2022 को पेश हो।	
27/4/22	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 29/6/22 को पेश हो	
29/06/22	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 24/08/22 को पेश हो Ram	
24/08/22	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 19/10/22 को पेश हो	
19/10/22	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 28/12/22 को पेश हो	
28/12/22	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 15/02/23 को पेश हो	
15/02/23	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 26/04/23 को पेश हो Ram	

Scanned with OKEN Scanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

अदालत .... किस्म मुकदमा

वीरन्मा बनाम कमला वगैरा

नं. 126 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26/5/23	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 14.6.23 को पेश हो	
14/6/23	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 28/8/23 को पेश हो	
28/8/23	पत्रावली पेश हुई वास्ते जवाब प्रा० पत्र दिनांक 27-9-23 को पेश हो।	
27/9/23	पत्रावली पेश हुई वास्ते जवाब प्रा० पत्र में पत्रावली दिनांक 1-11-23 को पेश हो।	
1/11/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 13/12/23 पेश हो।	
13/12/23	पत्रावली पेश हुई वास्ते जवाब प्रा० पत्र में दिनांक 21-2-24 को पेश हो।	
21/02/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप०/ प्रा. पत्र O.22 R.4 सपठित धारा 151 CPC प्रस्तुत हुआ। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24.04.2024 को पेश हो।	
24/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 26/6/24 पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/06/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी अनुपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली आदेशिका अनुसार दिनांक 28/08/24 पेश हो। Ram
28/08/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप०। प्रा०पत्र O.22.R.4 स्वीकार किया जाता है। संशोधित शीर्षक पेश हो। पत्रावली दिनांक 25.09.2024 को पेश हो।
25/09/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी अनुपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली आदेशिका अनुसार दिनांक 04/12/24 पेश हो। Ram
4/12/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी अनुपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली आदेशिका अनुसार दिनांक 5/2/25 पेश हो। Ram
5/2/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी अनुपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली आदेशिका अनुसार दिनांक 9/4/25 पेश हो। Ram
9/4/25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधिवक्ता उप० वास्ते संशोधित शीर्षक पत्रावली दिनांक 18-6-25 को पेश हो।
18/6/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी अनुपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली आदेशिका अनुसार दिनांक 6/8/25 पेश हो। Ram

कान्ता V/S कमला वगै.   126/2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
6/8/25 [redacted] पेश हुई। अधिवक्ता [redacted]/[redacted] [redacted]/पी.ओ. साहब राजकार्य में [redacted]/ [redacted] पर/स्थानान्तरित होने के [redacted] [redacted] आगामी अनुसार [redacted] 29/10/25 पेश हो। (Ram)	
29/10/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप०। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रकरण को Note Press किये जाने बाबत् कथन किया। प्रकरण का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत प्रकरण को इसी स्तर पर Note press किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	NOT PRESS (हस्ताक्षर)